राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक–न्याय/2018/ 17845 दिनांक: 12.11.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी/विविध/झाला/18/36237–38 दिनांक 12.11.2018 से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड के अभियोग सं0 546/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त 1– भीम उर्फ विजय पुत्र ओमप्रकाश जाति हरिजन आयु 28 साल निवासी कालेज के पीछे कुम्हार मोहल्ला हरिजन बस्ती झालावाड 2– रोमियो उर्फ गुरजीत सिंह पुत्र श्री बिरसा सिंह जाति सिख आयु 36 साल निवासी भगत सिंह कालोनी गोदाम की तलाई झालावाड 3– दीपक शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रामद्वारा गली मंगलपुरा झालावाड 4– विकास गुर्जर पुत्र रामनारायण गुर्जर आयु 30 साल निवासी नला मोहल्ला चंदा महाराज की पुलिया झालावाड के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.18 को श्री सुगन सिंह राठौड मय जाप्ता मुखबिर सूचना के अनुरूप जामुनिया इण्ड्रस्टीज एरिया पर पहुंचने पर खण्डर दीवार के पास बदमाशान छिपकर आपस मे बात कर रहे थे कि शराब के ठेके पर धावा बोलना है। सेल्समेन व उसके साथ जो भी हो उसको कब्जे मे लेना एंव शराब के पैसो को लूटना है। उक्त बदमाशो की बाते सुनकर घेराबंदी कर पांच बदमाशो को पकडा नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम 1– भीम उर्फ विजय पुत्र ओमप्रकाश जाति हरिजन आयु 28 साल निवासी कालेज के पीछे कुम्हार मोहल्ला हरिजन बस्ती झालावाड जिससे एक देशी पिस्टल मय मैगजीन एंव एक मैगजीन मय पांच कारतूस व एक सैमसंग मोबाईल 2– रोमियो उर्फ गुरजीत सिंह पुत्र श्री बिरसा सिंह जाति सिख आयु 36 साल निवासी भगत सिंह कालोनी गोदाम की तलाई झालावाड से एक देशी कटटा 12 बोर मय तीन कारतूस 3– दीपक शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रामद्वारा गली मंगलपुरा झालावाड से एक देशी पिस्टल मय मैगजीन एंव 6 जिंदा कारतूस 4– विकास गुर्जर पुत्र रामनारायण गुर्जर आयु 30 साल निवासी नला मोहल्ला चंदा महाराज की पुलिया झालावाड से एक देशी कटटा व 2 जिंदा कारतूस तथा एक तलवार 5– नरेश पुत्र कालूलाल जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी नला मोहल्ला झालावाड के कब्जे से एक तलवार जप्त की गई। जिसके अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछा तो अनुज्ञापत्र नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध स0 546/18 धारा 399, 402 भादस व 3/25, 5/25, 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्व किये गये। अनसुंधान से अभियुक्त 1– भीम उर्फ विजय पुत्र ओमप्रकाश जाति हरिजन आयु 28 साल निवासी कालेज के पीछे कुम्हार मोहल्ला हरिजन बस्ती झालावाड 2– रोमियो उर्फ गुरजीत सिंह पुत्र श्री बिरसा सिंह जाति सिख आयु 36 साल निवासी भगत सिंह कालोनी गोदाम की तलाई झालावाड 3– दीपक शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रामद्वारा गली मंगलपुरा झालावाड 4– विकास गुर्जर पुत्र रामनारायण गुर्जर आयु 30 साल निवासी नला मोहल्ला चंदा महाराज की पुलिया झालावाड के विरूद्व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। उक्त जप्तशुदा आर्म्स एंव ऐम्युनेशन का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आर्मोरर ने रिपोर्ट मे प्रत्येक अभियुक्त से जब्त शुदा आर्म्स एंव एम्युनेशन फायर योग्य तथा फायर आर्म्स व एम्युनेशन की परिभाषा मे आना बताया है। अभियुक्तो के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नेनुराम एसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री योगेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड अस्त्र शस्त्रो को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त 1– भीम उर्फ विजय पुत्र ओमप्रकाश जाति हरिजन आयु 28 साल निवासी कालेज के पीछे कुम्हार मोहल्ला हरिजन बस्ती झालावाड 2– रोमियो उर्फ गुरजीत सिंह पुत्र श्री बिरसा सिंह जाति सिख आयु 36 साल निवासी भगत सिंह कालोनी गोदाम की तलाई झालावाड 3– दीपक शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रामद्वारा गली मंगलपुरा झालावाड 4– विकास गुर्जर पुत्र रामनारायण गुर्जर आयु 30 साल निवासी नला मोहल्ला चंदा महाराज की पुलिया झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

जगमग झालावाड

E/Procecution Senction